न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 18 / 2023 (जी.सी.एम.एस. 2023 / 383)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखपाल कौर पुत्री दल सिंह पत्नी मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जोहरड तहसील मलोट, जिला मुक्तसर, पंजाब। 2. सिमरजीत कौर पुत्री दल सिंह पत्नी हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डी डी तहसील घडसाना। 3. परमजीत कौर पुत्री दल सिंह पत्नी बोहड सिंह जाति जटसिख निवासी बाण्डा तहसील अनुपगढ।		1. इकबाल सिंह पुत्र नर सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1. विरेन्द्र सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 1/2. सुखदीप कौर पुत्री इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. महेन्द्र कौर पुत्री दल सिंह पत्नी मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर(मृतक) 2/1. गुरसेवक सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 08.06.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2
3.श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2/1

——निर्णय——

दिनांकः 01.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि हमारा संयुक्त परिवार था। इस कारण हमारे माता पिता की मृत्यु के पश्चात् इकबाल सिंह द्वारा हमें आश्वासत किया गया कि मैं आपका भाई हूं और आपके माता पिता के बाद आपकी देखभाल की समस्त जिम्मेवारी उसकी है, आपके पिता के नाम की समस्त कृषि भूमि आप चारो बहिनो के नाम विरासतन बहिस्सा बराबर दर्ज करवा दूंगा और भूमि की काश्त हिस्सा ठेका पर पहले से ही उसके द्वारा की जा रही है और हिस्सा ठेका की रकम पूर्व में भी आपके पिता को दी जाती रही है, अब आप चारो बहिनो को बराबर बराबर अदा कर दी जावेगी। हमारे माता पिता के देहांत के पश्चात् पीहर में हमारा एक ही सहारा चचेरा भाई इकबाल सिंह था और हमारा उसी के घर आना जाना था, जिस कारण उसकी बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था और इकबाल सिह हमारे पिता की समस्त कृषि भूमि का ठेका हम चारो बहिनो को बराबर बराबर देता रहा। दिनांक 07.08.2021 को इकबाल सिंह का देहांत हो गया और इकबाल सिह की मृत्यु के पूर्व ही उसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। इकबाल सिह की मृत्यु के पश्चात् उसके दो ही वारिस विरेन्द्र सिंह व सुखदीप कौर प्रतिवादीगण शेष रहे। धीरे-धीरे इनके व्यवहार में वादीगण के प्रति परिवर्तन आने लगा, बोल-चाल कम हो गयी। आज से करीब 4-5 माह पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीगण को कहा कि दल सिंह के हिस्सा की भूमि का कब्जा पूर्व से ही उनके पास है, आज तक आपको ठेका की राशि मिलती रही है, लेकिन अब आईन्दा आपको ठेका की राशि नहीं मिलेगी। भूमि के मालिक अब हम खुद बन गये है और दल सिंह की मृत्यु के पश्चात् दल सिंह की भूमि आप चारो के नाम से दर्ज न करवाकर, हमने मिलकर, हमारे पिता इकबाल सिंह ने अपने नाम दर्ज करवा ली थी। अब इकबाल सिंह के नाम से दर्ज भूमि के मालिक प्रतिवादीगण बन गये है। प्रतिवादीगण की बात सुनकर, हम वादीगण ने दल सिंह के नाम से दर्ज भूमि के समस्त दस्तावेज निकलवाये तो मालूम हुआ कि प्रतिवादीगण ने अपने पिता इकबाल सिंह के साथ मिलकर हमारे पिता दल सिंह की समस्त भूमि को हडपने की योजना बनाई एवं इसी योजना के अनुसरण में हमारे पिता दल सिंह के नाम से दिनांक 30.01.1991 को उप पंजीयक कार्यालय, केसरीसिंहपुर से एक पंजीकृत वसीयत तैयार करवायी, जिसमें हमारे पिता दल सिह के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को पेश कर, उसको दल सिंह बताकर, वसीयत पंजीकृत करवा ली। उक्त वसीयत हमारे पिता दल सिंह द्वारा निष्पादित नही करवायी गयी है और न ही कभी अपना अगूठा उस पर लगाया है। उक्त वसीयत वर्ष 1991 में निष्पादित करवायी और हमारे पिता दल सिंह की वर्ष 2007 में मृत्यु हुयी है। इस दौरान हमारे पिता द्वारा इस वसीयत के बारे में हमें कभी भी नही बताया गया है और हमेशा यही बात कही जाती रही है कि उनके जीवनकाल के पश्चात् उनकी समस्त सम्पति उसकी चारो पुत्रियो को बहिस्सा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
श्री करणपुर

बराबर मिलनी चाहिए। कृषि भूमि की कथित वसीयत से यह प्रकट हुआ है कि दल सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी आधी सम्पति पत्नी करनैल कौर व आधी सम्पति भतीजे इकबाल सिंह को देना तय किया गया है। उक्त वसीयत मे दल सिंह द्वारा अपनी सम्पति मे से इकबाल सिंह कोई हिस्सा देने का प्रश्न पैदा ही नही होता, क्योंकि दल सिंह के हम चार पुत्रियां जीवित थी और त्यौहार समय हमारे माता पिता हमारे पास ही व्यतीत करते थे। इस कारण यदि उनको कोई वसीयत करवानी भी होती, तो हम वादीगण को अवश्य ही हिस्सा देते। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त वसीयत प्रतिवादीगण ने अपने पिता इकबाल सिंह के साथ मिलकर, तैयार करवायी है जो फर्जी व कूटरचित है और वादीगण के अधिकारो पर निष्प्रभावी है। वसीयत के आधार पर दर्ज किए गए नामांतरण का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि चक 1 डब्ल्यू, 2 डब्ल्यू का पटवार सर्कल अलग है और 4 डब्ल्यू का पटवार सर्कल अलग है। कथित वसीयतकर्ता दल सिंह की मृत्यु दिनांक 12.11.2007 को होने के पश्चात् इकबाल सिंह द्वारा उक्त वसीयत उपपंजीयक कार्यालय केसरीसिंहपुर के समक्ष दो वर्ष के असाधारण विलम्ब के पश्चात् पेश की गयी और पंजीकृत वसीयत होने के कारण, उस पर विश्वास कर, वसीयतानुसार नामांतरण दर्ज करने के आदेश क्रमांक :-560 दिनांक 24.09.2009 को जारी किए गए। उप तहसीलदार, राजस्व केसरीसिंहपुर द्वारा जारी आदेशानुसार चक 4 डब्ल्यू के खाता संख्या 39 में दल सिंह के नाम दर्ज 4.090 हैक्टर भूमि का नामांतरण वसीयत अनुसार दल सिंह की पत्नी करनैल कौर का 1/2 हिस्सा उसकी मृत्यु होने पर उसके चारो वारिसान वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज हो गया तथा शेष 1/2 हिस्सा इकबाल सिंह के नाम से दर्ज हो गया। चक 4 डब्ल्यू की भूमि का इकबाल सिंह ने 1/2 हिस्सा को फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण अपने नाम से दर्ज करवाया लिया, लेकिन चक 1 डब्ल्यू व 2 डब्ल्यू में दल सिंह के हिस्सा की भूमि की फर्जी वसीयत दिनांक 30.01.1991 के आधार पर जारी आदेश दिनांक 24.09.2009 की पालना में नामांतरण केवल इकबाल सिंह के नाम से दर्ज करवाया लिया और करनैल कौर का 1/2 हिस्सा भी हडप कर लिया। चक 4 डब्ल्यू का नामांतरण संख्या 250 पटवार हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार राजस्व, द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस कारण वह उक्त तहसीलदार के आदेशानुसार ही दर्ज किया गया, लेकिन चक 1 डब्ल्यू व 2 डब्ल्यू का पटवार हल्का अलग-अलग होने के कारण, तत्कालीन पटवारी हल्का व तत्कालीन सरपंच ने इकबाल सिंह से मिलीभगत कर, उप तहसीलदार केसरीसिंहपुर के आदेश दिनांक 24.09.2009 के विपरीत जाकर, दल सिह के नाम से दर्ज चक 1 डब्ल्यू व 2 डब्ल्यू की समस्त कृषि भूमि इकबाल सिंह के नाम से दर्ज कर दी और नामांतरण संख्या 227 व 413 में उक्त नामांतरण उप तहसीलदार केसरीसिहपुर के आदेश सख्या 560 दिनांक 24.09.2009 की पालना में दर्ज करना अंकित किया गया है और नामांतरण तहसीलदार से स्वीकृत करवाने की बजाये तत्कालीन सरपंच मनजीत कौर से तस्दीक करवा लिए गए, जबकि सरपंच को वसीयत के आधार पर सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया है कि प्रतिवादीगण की मंशा शुरू से ही हमारे पिता दल सिंह की भूमि को हडपने की थी। इस कारण प्रतिवादीगण ने उक्त वसीयत फर्जी व कूटरचित तैयार कर, दल सिह की समस्त भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा लिया। चूंकि वसीयत शुरू से ही फर्जी व कूटरचित है और कूटरचित वसीयत के आधार पर उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर से वसीयतानुसार नामांतरण दर्ज करने के आदेश प्राप्त किए गए है, फिर भी आदेशानुसार नामांतरण दर्ज न कर, अकेले इकबाल सिंह ने अपने नाम नामांतरण दर्ज करवा लिए और वादीगण को अपने पिता दल सिंह से विरासतन प्राप्त होने वाले हिस्सा से वंचित कर दिया। उक्त समस्त तथ्यो की जानकारी होने के पश्चात् वादीगण प्रतिवादीगण के पास आज से 2 माह पूर्व गए, उनसे आपति प्रकट की कि आपने व आपके पिता इकबाल सिह ने धोखा से हमारे पिता दल सिंह की सम्पति फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसमें आपका कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इस कारण आप कथित वसीयत दिनांक 30.01.1991 को शून्य घोषित करवा लेवे एवं दल सिंह के नाम की समस्त कृषि भूमि की वसीयत के आधार पर दर्ज नामांतरण को निरस्त करवाकर, दल सिंह के नाम वापिस दर्ज करवा देवे। ताकि हम वादीगण दल सिंह की भूमि का विरासतन इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवा सकें, तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया और दल सिंह की भूमि प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण, अन्यत्र हस्तांतरण करने की धमकी दे डाली है। इस कारण उक्त कथित वसीयत दिनांक 30.01.1991 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प वादीगण के पास शेष नहीं है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
श्री करणपुर

[illegible]

पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर, निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि विवादित कृषि भूमि वर्तमान में चक 1 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 6/6, 59/59, चक 2 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 4/4, चक 4 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 52/50 में प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 व उनके पिता इकबाल सिंह पुत्र दल सिंह के नाम दर्ज भूमि का वादीगण/प्रतिवादी संख्या 2/1 को खातेदार घोषित किया जाकर, उनके हिस्सा अनुसार राजस्व अभिलेख में नामांतरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावे व फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार स्वीकृत नामांतरण, अस्वीकार कर, निरस्त फरमाया जावे। चक 1 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता नम्बर 8/8 के मुरबा नम्बर 3, 9, 12, 36, 78 में कुल 9.907 है0 में से प्रतिवादी विरेन्द्र सिंह पुत्र इकबाल सिंह के नाम दर्ज 2563/9907 हिस्सा यानि 2.563 है0 व प्रतिवादी सुखदीप कौर पुत्री इकबाल सिंह के नाम दर्ज 2563/9907 हिस्सा यानि 2.563 है0 भूमि में से 1.555 है0 यानि 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर, परमजीत कौर, सिमरजीत कौर व प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र कौर चारो को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार 1.555 है0 भूमि वादीगण गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर, परमजीत कौर, सिमरजीत कौर व प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र कौर के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 2/1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 2/1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 2331 दिनांक 2.07.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर के आदेश एंव वसीयत अनुसार चक 1 डब्ल्यू व 2 डब्ल्यू में 1/2 हिस्सा इकबाल सिंह पुत्र दल सिंह तथा 1/2 हिस्सा करनैल कौर पत्नी दल सिंह जाति जटसिख के पक्ष में इन्तकाल दर्ज होना था तथा इन्तकाल रजिस्टर में जो प्रविष्टी कॉलम संख्या 7 में दर्ज होनी थी, जो कि कॉलम नम्बर 9 में दर्ज हो गई एंव जो प्रविष्टी कॉलम नम्बर 9 में दर्ज होनी थी, जो कि कॉलम संख्या 7 में सहवन से दर्ज हो गई है। सामिल मिसल की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। नकल प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की। वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। संशोधित वादपत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण सुखपाल कौर, सिमरजीत कौर, परमजीत कौर व प्रतिवादीगण विरेन्द्र सिंह, सुखदीप कौर, गुरसेवक सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार चक 4 डब्लयू के खाता नम्बर 52/50 के मुरब्बा नम्बर 32, 33, 44, 45, 46, 47, 53/18 व 53/28 मे कुल 31.763 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1/1 विरेन्द्र सिह पुत्र इकबाल सिह के नाम 31/2762 यानि 0.356 है0 व प्रतिवादी संख्या 1/2 सुखदीप कौर पुत्री इकबाल सिह के नाम 31/2762 यानि 0.356 है0 का खातेदार गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर, परमजीत कौर, सिमरजीत कौर व महेन्द्र कौर को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1/1 विरेन्द्र सिह पुत्र इकबाल सिह के नाम 31/2762 यानि 0.356 है0 व प्रतिवादी संख्या 1/2 सुखदीप कौर पुत्री इकबाल सिह के नाम 31/2762 यानि 0.356 है0 कृषि भूमि कलमजन होकर गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर, परमजीत कौर, सिमरजीत कौर व महेन्द्र कौर के नाम बहिस्सा बराबर व चक 1 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता नम्बर 8/8 के मुरबा नम्बर 3, 9, 12, 36, 78 में कुल 9.907 है0 में से प्रतिवादी विरेन्द्र सिह पुत्र इकबाल सिह के नाम दर्ज 2563/9907 हिस्सा यानि 2.563 है0 व प्रतिवादी सुखदीप कौर पुत्री इकबाल सिह के नाम दर्ज 2563/9907 हिस्सा यानि 2.563 है0 भूमि में से 1.555 है0 यानि 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर, परमजीत कौर, सिमरजीत कौर व प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र कौर चारो को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर 1.555 हैक्टेयर भूमि वादीगण गुरपाल कौर उर्फ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सुखपाल कौर, परमजीत कौर, सिमरजीत कौर व प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र कौर के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में दर्ज की जाती है तो दोना पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होगी। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजीनामा वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 2/1 के जवाबदावा, राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 188, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 डब्ल्यू, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 8/8 में प्रतिवादी संख्या 1/1 विरेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 1/2 सुखदीप कौर के नाम दर्ज 5.126 हैक्टेयर भूमि में से 1.555 हैक्टेयर भूमि का खातेदार व राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 में प्रतिवादी संख्या 1/1 विरेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 1/2 सुखदीप कौर के नाम दर्ज 0.712 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादीगण गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर, सिमरजीत कौर, परमजीत कौर, प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र कौर को घोषित किया जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुखपाल कौर आदि बनाम इकबाल सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188, 91, 92, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर 18/2023
निर्णय दिनांक :- 01.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा, श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 188, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 डब्ल्यू, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 8/8 में प्रतिवादी संख्या 1/1 विरेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 1/2 सुखदीप कौर के नाम दर्ज 5.126 हैक्टेयर भूमि में से 1.555 हैक्टेयर भूमि का खातेदार व राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 में प्रतिवादी संख्या 1/1 विरेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 1/2 सुखदीप कौर के नाम दर्ज 0.712 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादीगण गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर, सिमरजीत कौर, परमजीत कौर, प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र कौर को घोषित किया जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 01.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	04	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**08**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

दिनांक: 01.10.2024

क्रमांकः रीडर/2024/५२१

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर